केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 30.05.2017

सीबीआई ने 17.34 करोड़ रू. (लगभग) की बैंक के साथ हुई कथित धोखाधड़ी में अलग-अलग फर्मो के साझीदार एवं निदेशक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 17.34 करोड़ रू. (लगभग) की बैंक के साथ हुई कथित धोखाधड़ी में आई.एम.टी., मानेसर, गुड़गॉव (हरियाणा) की प्राइवेट फर्म के एक साझीदार एवं दिल्ली स्थित प्राइवेट निर्यात फर्म के एक निदेशक (दोनो डी.एल.एफ. फेज-1, गुड़गॉव निवासी) को गिरफ्तार किया।

आई.एम.टी., मानेसर, गुड़गॉव स्थित प्राइवेट फर्म के तीन साझीदारों ; एक प्राइवेट व्यक्ति तथा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, एल.यू. शाखा, पीतमपुरा, दिल्ली के अन्य अज्ञात कर्मियों तथा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 08.03.2016 को मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि साझीदार फर्म जिसके सेक्टर-6, आई.एम.टी., मानेसर, गुड़गॉव में कार्यालय थे, ने कामायनी कुन्ज, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली स्थिति प्राइवेट व्यक्ति (एफ.आई.आर. में नामित) की सम्पत्ति को गिरवी रख कर ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, पीतमपुरा शाखा, दिल्ली से 23.50 करोड़ रू. (लगभग) की ऋण सुविधा प्राप्त की। दिनांक 17.12.2014 की 17.34 करोड़ रू. (लगभग) की बकाया राशि के साथ खाता गैर निष्पादित सम्पत्ति घोषित हुआ। ऐसा ज्ञात हुआ कि बैंक के पास गिरवी रखी उक्त प्राइवेट व्यक्ति की सम्पत्ति के दस्तावेज जाली एवं बनावटी थे क्योकि उस तिथि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने पूर्ण स्वामित्व अधिकार एवं किसी भी व्यक्ति को फ्लैट के हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने की अनुमति नही दी थी। ऐसा भी पाया गया कि ऋण सुविधा की धन राशि को अन्य मद में लगाया गया/ विभिन्न सहयोगी फर्मों एवं अपने कर्मचारियों के के.वाई.सी. दस्तावेजों के प्रयोग द्वारा उनके नाम से खोले गए विभिन्न जाली खातों के माध्यम से भी धनराशि को बेईमानी से निकाल लिया गया तथा इस प्रकार उक्त धनराशि का गबन किया गया।

उक्त आरोपी से सम्बन्धित दो अन्य मामले, सीबीआई ने दर्ज किए। उनमें से एक मामला विचाराधीन है तथा अन्य मामले की जॉच चल रही है। सभी तीन मामलों में शामिल कुल धन 41 करोड़ रू. (लगभग) से ज्यादा है।

दोनो गिरफ्तार आरोपियों को रोहणी, दिल्ली की नामित अदालत के समक्ष पेश किया गया। वर्तमान में, दोनो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

****